न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 38/2015

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. भूमिधारी तहसीलदार पाली		नसीर मोहम्मद पुत्र हाजी मोहम्मद के का0मु0 1. अब्दुल वाहिद पुत्र नसीर मोहम्मद 2. अब्दुल खालीद पुत्र नसीर मोहम्मद 3. अब्दुल साहिद पुत्र नसीर मोहम्मद 4. असद उल्लाह पुत्र नसीर मोहम्मद 5. कुलसुम पुत्री नसीर मोहम्मद 6. जाहिदा पुत्री नसीर मोहम्मद 7. नगमा पुत्री नसीर मोहम्मद 8. अरिया पुत्री नसीर मोहम्मद

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

सरकारी पैरोकार

डॉ0 रजनीश सत्यदेव राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 8.2.2019

-----0-----

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा प्रकरण संख्या 02/2010 (पुराना कानून) राजस्थान सरकार बनाम नसीर अहमद के का0मु0 वगैरा में पारित आदेश दिनांक 28.10.2013 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.1970 को रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुराने सीलिंग कानून के तहत प्रकरण संख्या 157/1971 दर्ज किया एवं नये सीलिंग कानून के तहत प्रकरण संख्या 157/1973 दर्ज किया, जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.1988 को निर्णय पारित किया जाकर रेस्पोडेन्ट के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि मानते हुए भूमि अधिग्रहण करने के आदेश पारित किए। उक्त निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 20.12.1994 को उक्त निर्णय दिनांक 24.09.1988 को अपास्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया कि रेस्पोडेन्ट के परिवार के सदस्यों की जांच करें एवं निर्णय में सुझाए बिन्दुओं की पालना करते हुए विधि सममत निर्णय पारित करें। उसके पश्चात प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पुनः दर्ज किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान रेस्पोडेन्ट नसीर अहमद फौत होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 03.08.2011 को उसके का0मु0 की सूची प्रस्तुत की गई। प्रकरण उक्त का0मु0 की तलबी में नियत थी, किन्तु दिनांक 07.10.2013 को मो0 शाहिद पुत्र नसीर अहमद की ओर से वकालतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलाण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किए बिना ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। नए सीलिंग कानून की धारा 36 में सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है, मात्र सुनवाई हेतु प्राधिकृत अधिकारी ही सीलिंग प्रकरणों की सुनवाई कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय में जिन न्याय निर्णयों का सन्दर्भ अंकित किया है, वह केवल राजस्व एवं सिविल न्यायालय में विचारण योग्य वाद से संबंधित है, जिससे सुनने का अधिकार राजस्व एवं सिविल न्यायालय को है। सीलिंग अधिनियम की धारा 41 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 क्लोज बी व सी में जो प्रावधान वर्णित है, उनके अनुसार – (बी) – "समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो, जिसके सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से संसाधन हो।" तथा (सी)–"आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले, जिसमें धन और उत्पादन साधनों का सर्व साधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो।" इन कारणों से सीलिंग अधिनियम के प्रावधानों को संविधान के तहत मान्यता प्रदान की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय में दिए गए निर्देशों के पालना नहीं की तथा कानूनी प्रावधानों को नजर अन्दाज कर जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। सीलिंग अधिनियम की मंशा यह है कि अधिकतम सीमा से अधिक भूमि धारण करने वाले व्यक्तियों से विधि अनुसार सुनवाई के पश्चात भूमि अधिग्रहण कर भूमिहीन व्यक्तियों को उपलब्ध करवाना। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही को अपास्त किया है, जबकि उक्त प्रावधान वाद में ही लागू होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश में भूमि की गणना भी विधि अनुसार नहीं की है। पाली चक संख्या 1 के खसरा नम्बर 779 रकबा 70.4 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1169, 1170, 1218 रकबा 69.18 बीघा किस्म चाही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नहरी, खसरा नम्बर 1270 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1613, 1614 रकबा 190 बीघा किस्म बारानी अव्ल, ग्राम बागडिया में नसीर अहमद का खसरा नम्बर 262 में कुल रकबा 753 बीघा 18 बिस्वा में 1/4 हिस्सा है, जो सीलिंग सीमा से अधिक भूमि है। पुराने सीलिंग अधिनियम की धारा 30 बी में परिवार की परिभाषा दी गई है, जिसमें असेसी स्वयं, पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता, पौत्र आदि परिवार के सदस्य होते है तथा एक परिवार में अधिकतम 60 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारण करने के प्रावधान है, किन्तु अप्रार्थी एवं उसके परिवार द्वारा पाली चक I में 3.8 स्टेण्डर्ड एकड नहरी, 55.11 स्टेण्डर्ड बारानी अव्वल एवं चाही तथा ग्राम बागडिया में 753.18 बीघा का 1/2 हिस्सा 43 स्टेण्डर्ड एकड के कुल 101.19 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारित की जा रही है। विधि अनुसार 60 स्टेण्डर्ड एकड से अधिक भूमि अधिग्रहण योग्य थी, इसके बावजूदभी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीलींग प्रकरण को समाप्त किया है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी नसीर अहमद के कुछ वारिशान पाकिस्तान में निवास करते है, जिसके संबंध में साक्ष्य द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से परे जाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इस स्थिति में विधिक दृष्टिकोण से अपील खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा इस प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रार्थना पत्रों में उठाई गई विधिक आपत्तियों को बिना कुप्रभावित किए तथा बिना स्वीकारोक्ति के केवल तर्क हेतु ही बतौर अपीलाण्ट के दर्शित भूमिधारी तहसीलदार का राजस्थान सरकार की ओर से पक्षकार होना मान भी लिया जाता है, तो भी इस पूरी पत्रावली में राजस्थान सरकार द्वारा प्रकरण की कार्यवाही को करने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा इन्हे अथवा इनकी ओर से वकालतनामा द्वारा नियुक्त अभिभाषक को अधिकृत नहीं किया गया है। प्रकरण की पत्रावली पर, इस प्रकरण की कार्यवाही को करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से कोई आदेश की विद्यमान नहीं है। यही नहीं अपील को प्रस्तुत करने के लिए एवं बतौर पक्षकार अपील को हस्ताक्षरित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा साधारण अथवा विशेष आदेश भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णयों में दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध में समुचित जांच करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। जहां तक आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र में लागू होने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विधि में स्पष्ट किया गया है कि जहां विशिष्ठ अधिनियम मौन हो, वहां सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होंगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के परिवार के सदस्यों की गणना एवं उस अनुसार भूमि धारित करने की गणना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार पाली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अध्याय 3 बी के प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अधिकतम क्षैत्रफल से अधिक भूमि धारित है, जो अधिग्रहण योग्य है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 24.09.1988 को निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थी एवं उसके परिवार द्वारा धारित भूमि में से 45.42 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण योग्य घोषित की। इस निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसके अपील संख्या 238/89 थे। उक्त अपील में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.12. 1994 को निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09. 1999 को अपास्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया कि निर्णय में दिए गए बिन्दुओं एवं अन्य तथ्यों पर पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट के परिवार के सदस्यों की सत्यापन रिपोर्ट तलब की गई, जो अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड पर दिनांक 28.08.2004 को पेश हुई, जिसमें रेस्पोडेन्ट के परिवार में कुल 64 सदस्य होना जाहिर किया, जिस सूची में वर्णित क्रम संख्या 19 से 34 पर अंकित व्यक्ति पाकिस्तान में रहना बताया। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट नसीर अहमद फौत होने के कारण उसके का0मु0 की सूचना प्रस्तुत करने हेतु अपीलाण्ट को निर्देश दिए गए। इसके पश्चात प्रकरण का0मु0 की तलबी में नियत था, जिस पर रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण उपशमित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करने के पश्चात जैर अपील निर्णय पारित किया है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यह उज्र उठाया कि सरकारी पैरोकार को यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हैं। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में इस तथ्य का परीक्षण करने पर जो विधिक स्थिति प्रकट होती है, वह निम्न अनुसार हैं – विधिक प्रावधानों के अनुसार न्यायालय के समक्ष नवीन प्रकरण प्रस्तुत करने अथवा विचाराधीन प्रकरण में किसी भी याचिका अथवा दस्तावेज का प्रस्तुतिकरण या तो पक्षकार स्वयं द्वारा अथवा पक्षकार की ओर से विधि अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता हैं, जिसके विपरित किया गया प्रस्तुतिकरण, पूर्णतया प्रवृत्तहीन व शून्य हैं। प्रकरण हाजा में अपीलाण्ट भूमिधारी तहसीलदार पाली को राजस्थान सरकार की ओर से पक्षकार मान भी लिया जावे, तो भी इस अपील में राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रकरण की कार्यवाही को करने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा इन्हे अथवा इनकी ओर से नियुक्त अधिवक्ता को अपील प्रस्तुतिकरण अथवा अपील में कार्यवाही हेतु अधिकृत नहीं किया गया है तथा न ही ऐसा कोई सक्षम आदेश अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं। इस सम्बन्ध में AIR Supreme

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Court 1972 Page 152 में प्रतिपादित किया कि "13.... Another contention on behalf of the Additional Advocate General is that in view of Sub-rule (6) added to Rule 4 of Order 3 by Rajasthan he should be deemed to be authorised to act for the Central Government as he was appointed Government pleader under Order 27, Rule 8-B. This contention also is without force. All that sub-rule (6) lays down is that such Government pleader shall not be required to present any document empowering him to act. Sub-rule (6) is an exception to sub-rule (2). Under sub-rule (1) no pleader can act for any person unless he has been appointed by a document in writing. Sub-rule (2) lays down that such document in writing authorising him to act for any person shall be filed in Court. Sub-rule (6) lays down that a Government pleader within the meaning of Order 27, Rule 8-B shall not be required to present any document empowering him to act, and it shall be sufficient for him to file a memorandum of appearance signed by himself stating the particulars mentioned in sub-rule (5). But a Government pleader cannot act without a general or special authority in writing empowering him to do so. He is not exempt from the requirement of sub-rule (1) of Rule 4 of Order 3." इसी प्रकार AIR 1952 (Rajasthan) Page 180 Rajasthan State V Nathmal and another में प्रतिपादित किया कि" 8. The next point that is urged that the application was not presented properly in so far as though it was signed by the Government Advocate, it was presented before the Registrar by his clerk and not by the Government Advocate himself. Under O. 3, Rule 1, C.P.C., any act in any court required or authorised by law to be made or done by a party may, except where otherwise expressly provided, be made or done by the party in person, or by his recognised agent, or by a pleader on his behalf. In this case, the act that was done was the act of presentation of the application for leave to appeal to Supreme Court. This act should have been done by the party in person, or by his recognised agent, or deader. The Government Advocate naturally represents the State, but his clerk can neither be called the recognised agent of the State, nor a pleader acting for the State. The presentation, therefore, was not according to law in this case.

9. It appears however that there has been a practice in this Court and in the High Court of the former State of Jodhpur that Government Advocate's clerk presents applications on behalf of the Government Advocate. That this is so also appears from the fact that in this very case, the application for amendment of the original application praying for bringing Mithalal on the record was also presented by Moolraj, clerk of the Government Advocate, and not by the Government Advocate himself. We are of opinion that this practice, unsupported as it is by any rule, must stop in future. At the same time, it would, in our opinion, be unfair to Government that it should suffer because of a wrong practice having grown up. The result of the improper presentation is that the application would not be deemed to have been presented on the 30th of January when it was actually presented. It may be taken to have been presented on the 3rd March, 1952, when the Government Advocate appeared in support of it at the preliminary hearing. Considering the peculiar circumstances of this case, we extend the time for making the presentation up to the 3rd of March, 1952, (on which date, at any rate, the application must be taken to have been properly presented,) under Section 5 of the Limitation Act." इसी प्रकार AIR 1976 RAJASTHAN Page 130 में प्रतिपादित किया कि"A. Civil Procedure Code, 1908, Order 3 Rule 4 - Appointment of pleader - Neither memo of appearance filed not signed vakalatname filed - Advocate cannot act of plead for the party. इसे पैरा संख्या 4 में विस्तृत रूप से विवेचित किया है, जो इस प्रकार है – That apart, sub-rule (1) of Rule 4 Order 3 of Civil Procedure Code enacts that no pleader, which (term) as

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

per definition given in Section 2 (xv) signifies all persons who are entitled to act and plead and include vakil advocate and attorney of a High Court, shall act for any person in any Court unless he has been appointed for the purpose by such person by a document in writing signed by such person or by his recognised agent or by some other person duly authorised by or under a power-of-attorney to make such appointment. According to this sub-rule, if an advocate is appointed to act in Court, such appointment must be in writing signed by the party appointing him or a person duly authorised by him. Sub-rule (5) of Rule 4 Order 3, Civil Procedure Code says that no pleader who has been engaged for the purpose of pleading only shall plead on behalf of any party unless he has filed in Court a memo of appearance signed by himself and stating the names of the parties to the suit, the name of the party for whom he appears and the name of the person who has authorised him to appear. It is thus abundantly clear from sub-rules (1) and (5) that if an advocate or vakil is appointed to act in Court, such appointment must under sub-rule (1) be in writing signed by the party or by a person duly authorised by him. Again, if an advocate or pleader is appointed for the purpose of pleading only, he has to file a memo of appearance signed by himself. In the present case, neither any vakalatnama signed by the plaintiff-respondents appointing Mr. C.L. Agarwal as their counsel was filed in the writ petition or review petition nor any memo of appearance as required by sub-rule (5) was filed by Mr. C.L. Agarwal. Mr. C.L. Agarwal was, therefore, not entitled to plead or act on behalf of the plaintiff-respondents in the writ petition. The only person for whom Mr. C.L. Agarwal was empowered to act or plead in the writ petition was Hardev, respondent No. 7, inasmuch as he alone signed the vakalatnama appointing Mr. C.L. Agarwal in the writ petition. It is further proved from the oral evidence of the witnesses P. Ws 1 to 7 that none of the plaintiff-respondents was present in Court on 30-8-1962 when, on the basis of oral compromise between Mr. P.N. Datta and Mr. C.L. Agarwal, the Court disposed of the writ petition. A compromise or an agreement by a pleader on behalf of his client is undoubtedly an act within the meaning of Order 3, Rule 4, Civil Procedure Code In view of the fact that the plaintiff-respondents never consented to the agreement arrived at between Mr. P.N. Datta and Mr. C.L. Agarwal on 30-8-1962, there is no escape from the conclusion that the disposal of the writ petition so far as it was based on the agreement between Mr. P.N. Datta and Mr. C.L. Agarwal was under a mistaken belief or impression that Mr. C.L. Agarwal was empowered to act and plead on behalf of the plaintiff-respondents. The Courts below, in the circumstances, rightly held that the plaintiff-respondents were not bound by the judgment in the writ petition and the decree passed by the Board of Revenue. The learned counsel for the appellant has placed reliance on ***Satyanarain v. Balchand, ILR (1954) 4 Raj 905 , Laxmidas Ranchhoddas v. Savitabai Hargovindas Shah, AIR 1956 Bombay 54*** and ***Bhoormal v. Narainlal, 1961 Raj LW 521.*** But these cases are distinguishable on facts and have no applicability to the facts of the present case." इसी प्रकार LawSuit (Ori) 1987 Page 302 Kailash Chandra Singh & Ors. V State of Orissa में माननीय High Court of Orissa द्वारा यह प्रतिपादित किया कि " 8. - In the instant case, the plaint has been signed and the suit has been instituted by the Divisional Forest Officer without any authority. As on his own showing, the suit had been insitituted without authority of the State Government, the institution of the suit was barred by law and consequently, the Court had no jurisdiction to entertain the suit. The contention raised on behalf of the Petitioners must prevail and the submission made by the learned Additional Government Advocate that the suit was barred by law as well-founded." इसी प्रकार CRI L.J. 1991 Page

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2993, Khetrabasi Das V The State में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Criminal Law (Amendment) Ordinance (38 of 1944), S.2, S.4 - Attachment of property by Govt. - Application u/Ss. 3 and 4 - Authoridation of making an application - Preson making application must also be specifically authorized to sign and verify application." RRD 1995 Page 545 Raghunath V Nainu में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "The appellant/applicant has neither signed the appeal memo nor it has been presented by a pleader duly authorised under Order 3 Rule 4 of the Code of Civil Procedure. The authority 1975 RRD 458 cited by the learned counsel for the applicant does not apply to the facts of this case because in ***Nenia v. Lakhmi Narain Das (1975 RRD 458)***, only appeal memo was not signed but there was proper vakalatnama. In the present case there is no proper Vakalatnama and, therefore, as held in 1976 AIR (Rajasthan) 130 the pleader had no authority to present the appeal. Therefore, this cannot be said to be a curable defect because intention of the law is not that even unauthorised person can present appeal and subsequently they may be allowed to rectify the mistake." DNJ (raj) 1996 Page 399 में प्रतिपादित किया कि "सिविल प्रक्रिया संहिता 1908–आदेश 3 नियम 4(1) एवं (6)ए आदेश 27 नियम 8 एवं धारा 100– द्वितीय अपील–सक्षम व्यक्ति द्वारा अपनी पेश नहीं की गई – अपील पेश करने के दिन अपीलार्थी अपील पेश करने को प्राधिकृत नहीं था–स्वीकृति बाद में मंजूर हुई। पोषणीयता–अभिनिर्धारित, अपील असक्षम व्यक्ति द्वारा पेश की गई एवं पोषणीय नहीं हैं।" प्रकरण हाजा में भी न तो राज्य की ओर से अपील प्रस्तुत करने हेतु किसी अधिवक्ता को अधिकृत किया है एवं न ही अपील मीमों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है। इसलिए विधि के अध्यधीन अपील हाजा पोषणीयता के अभाव में भी खारिज़ योग्य हैं।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का यह तर्क रहा कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण एबेट होने के कारण ही खारिज़ योग्य था। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारान् के फौत होने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात भी परिसीमित समयावधि के भीतर उनके का0मु0 को रेकर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए, मात्र कायम मुकाम की सूची ही प्रस्तुत की गई। इस सम्बन्ध में AIR 1962 Supreme Court Page 89 State of Punjab V Nathu Ram में प्रतिपादित किया कि "Civil Procedure Code, 1908, Order 22, Rules 4 and 11 and Order 1, Rule 9 - Correspondents - Abatement of appeal as against one respondent - Acquisition of land jointy owned by two brothers - Award of compensation jointly in favour of both - Abatement of appeal against one respondent - Appeal could not proceed alone against other - Determination of share in absence of legal representative not permissible in law." इसी प्रकार R.R.D. 1991 Page 112 Sultan & Ors. V Board of Revenue & ors. में प्रतिपादित किया कि " 16. A combined reading of these provisions show that section 180 (I) is a special provision for ejectment of a tenant of Khudkast, Ghair-Khatedar tenant or a sub-tenant on the grounds specified in sub-clauses (a) & (b). Notice of such application is to be issued as per section 181. Section 182 (1) says that an order of ejectment can be passed if a sub-tenant appears and admits liability to ejectment. Under Section 182 (2) order of ejectment can be

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

passed if the tenant or sub tenant fails to appear despite service of notice under Section 181. However, in case the tenant or sub-tenant appears in pursuance of such notice and contests his liability to ejectment, the court shall treat the application as a plaint and proceed to decide it as a suit on payment of court fee. This is specifically provided in section 182(3). Provisions of the Code of Civil Procedure have been made applicable to all suits and proceedings under the Act of 1955 subject to certain exceptions. Therefore once the application filed under section 180 (1) (b) is treated as a suit provisions of the Code of Civil Procedure including Order 22, Rule 4 would be attracted and consequences of not impleading legal representations of a deceased party shall follow.

17. In the instant case we find that the three revenue courts have proceeded with the case by treating it to be suit because Sheodan had contested the application filed by Binja under Section 180(1)(b). In the writ petition also the petitioners have clearly stated the application filed by Binja was treated as a suit by the Sub Divisional Officer Khetri. This statement contained in para 1 of the writ petition has been admitted by the respondents No. 4 to 6 in their reply by making a reference to Section 182(3) of the Act. In this view of the matter there is no force in the submission of Shri Raj Kumar that the application filed under Section 180 (1) (b) could not be treated as a suit and therefore provisions of Order 22, Rule 4 are inapplicable.

18. Once it is held that provisions of Order 22, Rule 4 Code of Civil Procedure are applicable we shall examine as to what is effect of the death of Sheodan and failure of the respondents to bring his legal representatives on record. Fact situation is not in controversy. Sheodan had died on 19.1.1976 during the pendency of second appeal before the Board of Revenue. No application for bringing his legal representatives on record was filed within 90 days. However on 22.7.1976 Sardara Ram S/o Shri Sheodan moved an application for bringing legal representatives of Sheodan on record. This application was also not decided by the Board of Revenue and it proceeded to decide the second appeal vide judgment dated 21.6.1977. No application for setting aside the abatement was filed before the Board of Revenue at any stage.

21. In the light of these principles, it must be held that on account of failure to bringing the legal representatives of Sheodan on record within 90 days of his death resulted in automatic abatement of the second appeal which was pending with the Board of Revenue. Since no prayer was made for setting aside the abatement, the judgment and decree passed by the Board of Revenue must be held to be nullity and the same deserves to be set aside and quashed. As a result, the order passed by the Board of Revenue on review petition of the petitioners is also liable to be set aside. इसी प्रकार RLW (Raj) 1992 Page 91 Noor Mohammes V Gulam Rasool through L.Rs. में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " (a) C.P.C. Order 22, R. 4 and Limitation Act, Sec, 5 - Application-- not filed--If the lagal representatives are necessary party or in their absence no effective decree can be passed or in their absence any decree is passed can not be executed effectively or there is possibility of two inconsistent decreed them the whole appeal abates. (b) C.P.C. Order 22, R. 4- If one of the legal representative is already on record even if in a different capacity the appeal does not abate." इसी प्रकार AIR Sipreme Court Page 2018

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

State of Rajasthan V Legal Represemtatives of Rao Raja Kalyan Singh में प्रतिपादित किया कि " A. Civil Procedure Code, 1908, Order 6, Rule 2 - Plea - Held that the plea of non-maintainability of suit is a legal plea - Can be accepted although no specific plea might have been taken or no precise issue framed - Appeal dismissed. " इसी प्रकार AIR 1972 Rajasthan Page 203 Bhanwar lal V Bhulibai and Others में प्रतिपादित किया कि "(C) Civil P.C. (5 of 1908), O.22 R, 4 – Abatement of appeal as a whole – Where the appeal against a joint decree abates of one of the respondents due to non-substitution of his legal representatives, the appeal abares as a whole. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AIR 1972 SUPREME COURT Page 1181 में प्रतिपादित किया कि " Civil Procedure Code, 1908, Order 22, Rules 4 and 11, Order 1, Rule 9, Order 41, Rule 4 - Non joinder - Abatement of appeal - Appeal arising out of suit for accounts and partition of partnership property - Failure in bringing heirs or legal representatives on record - Appeal cannot be proceeded with. इसी प्रकार AIR 1973 SUPREME COURT Page 655 में प्रतिपादित किया कि " Civil Procedure Code, 1908, Order 22, Rule 1 and Order 41, Rule 4 - Scope - Suit for specific performance - Instituted by original purchaser against purchaser with notice of a prior agreement of sale - Vendor is a necessary party - Appeal instituted by the second purchaser against the decree for specific performance granted by the trial Court - Death of vendor - Legal-representatives not brought on record - That part of the decree cannot be set-aside - Order 41, Rule 4 Civil Procedure Code cannot be of any avail to the appellants - Abatement of appeal so far as the vendor was concerned, will prove fatal to the entire appeal as either inconsistent and contradictory decree will have to be passed or proper relief cannot be granted in the absence of a necessary party, against that party or his LRs." इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AIR SUPREME COURT Page 676 में प्रतिपादित किया कि " A. Civil Procedure Code, 1908, Sections 2(2) and 100, Order 22, Rules 4, 9(1), 9(2), Order 43, Rule 1(k) - Abatement of appeal - No decree is passed when appeal abates - Second appeal not competent. इसे विस्तृत रूप से पैरा संख्या 8 में इस प्रकार विवेचित किया है – Pare 8 - Section 2 sub-section (2) of the Civil Procedure Code defines 'decree' to mean "the formal expression of an adjudication which, so far as regards the Court expressing it, conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any question within Section 144 but shall not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order". When an appeal abates for want of substitution as envisaged by sub-rule (1) of Rule 9 Order 22 it precludes a fresh suit being brought on the same cause of action. It is a specific provision. If abatement implied adjudication on merits, Section 11 of C.P.C. would be attracted. Abatement of an appeal does not imply adjudication on merits and hence a specific provision had to be made in Order 22, Rule 9 (1) that no fresh suit could be brought on the same cause of action. Therefore when the appeal abated there was no decree, disposing of the first appeal, only course open is to move the Court for setting aside abatement. An order under Order 22, Rule 9(2) C.P.C. refusing to set aside abatement is specifically appealable under Order 43, Rule 1 (k). Such an adjudication if it can be so styled would not be a decree as defined in Section 2(2), C.P.C. Section 100 provides for second

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

appeal to the High Court from every decree passed in appeal by any Court subordinate to the High Court on the grounds therein set out. What is worthy of notice is that second appeal lies against a decree passed in appeal. An order under Order 22, Rule 9 appealable as an order would not be a decree and therefore, no second appeal would lie against that order. Such an appeal is liable to be rejected as incompetent." इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Supreme Court Cases 1996 Page 323 में प्रतिपादित किया कि "4. that two respondent-partmers died pending second appeal. Therefore, there cannot be any inconsistent decree as against the dead persons and against whom the decree dismissing the suit had become final and other contesting respondents whose right are to be adjudicated in the second appeal.

5. It would, therefore, be clear that the High Court has not committed any error of law. Since the Appeal has already got abated as against the deceased respondents, the Court cannot proceed further on merits. Equally, the same situation is confirmed in this appeal also. Since respondent Nos. 8 and 14(i) had already died and their rights have become final; since their legal representatives have not been brought on record and the appeal stands abated as against them, it would be inconsistent if we go into the merits of the matter as against the contesting respondents in this appeal. Under these circumstances, this appeal also stands abated as against all the respondents. प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहने के दौरान ही अप्रार्थी नसीर अहदम दिनांक 19.01.2003 को फौत हो चुका था, जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो स्टेट प्रति, अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड पर है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट नसीर अहमद के का0मु0 बनाने का प्रार्थना पत्र जैर अपील निर्णय पारित करने की दिनांक तक प्रस्तुत ही नहीं किया गया, इस कारण प्रकरण स्वतः ही उपशमित (abate) हो चुका था।

अब प्रश्न यह प्रकट होता है कि जब जैर अपील निर्णय पारित किया गया, उस समय प्रकरण में विधिवत प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी अथवा नहीं ? जिसको दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत हो। इस सम्बन्ध में रेकर्ड का अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 238/1989 में पारित निर्णय दिनांक 2012.1994 में प्रकरण का जो विश्लेषण निकाला गया था, वह इस प्रकार था कि "घोषणाकर्ता के परिवार के सदस्यों की संख्या और वे घोषणाकर्ता पर आश्रित है अथवा नहीं, इस बात की जाँच तहसीलदार ने नहीं की है, इस बाबत तहसीलदार की कोई जाँच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। जो भूमि अपीलाण्ट की मानी गई है, वह सभी भूमि उसकी थी या अन्य व्यक्तियों की। भूमि अलग अलग व्यक्तियों द्वारा विक्रय की गई है एवं इस बाबत विक्रय पत्र भी अपील में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जांच पूर्ण रूप से नहीं हुई है।" इन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए पुनः सुनवाई का निर्णय पारित करने के निर्देश दिए गए। तहसीलदार रोहट द्वारा रेस्पोडेन्ट के परिवार के सदस्यों की जो सूची प्रस्तुत की है, उनका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हुए रेस्पोडेन्ट नसीर अहमद की दोनों पत्नियों से हुई सन्तानों का पूर्ण विवरण एवं विधि में विहित प्रावधानों के तहत उनके द्वारा धारण की जाने वाली भूमि की गणना भी की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अब इस तथ्य का परीक्षण किया जाना है कि दिनांक 01.04.1966 को अप्रार्थी के परिवार के सदस्यों की संख्या क्या थी एवं उनके द्वारा कितनी भूमि धारण की जा सकती थी। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का निम्बलीउर्रा द्वारा तहसीलदार पाली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.08.1981 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 25.02.1958 एवं दिनांक 01.04.1966 को रेस्पोडेन्ट नसीर अहमद के नाम ग्राम बागडिया में कोई भूमि दर्ज नहीं थी, जिसकी ताईद ग्राम बागडिया के नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 11.02.1968 से होती है, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि ग्राम बागडिया के खसरा नम्बर 262 रकबा 753 बीघा 18 बिस्वा की भूमि महाराजा श्री अनोपसिंह पुत्र रतनसिंह वगैरा द्वारा अप्रार्थी नसीर अहमद 1/2, जैनब पत्नी नसीर अहमद 1/4, कुलसुम पत्नी मोहम्मद इकबाल 1/4, के पक्ष में बेचान किया गया। उक्त दिनांक को रेस्पोडेन्ट के तीन पुत्र बालिग थे, जो फकरूदीन, बदरूदीन व गफ्फार थे, जो एसेसी से अलग रहने के कारण नये तथा पुराने सीलिंग अधिनियम के तहत पृथक यूनिट धारित करने के अधिकारी थे।

जहां तक विधिक प्रावधानों का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अध्याय 3 (बी) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक 01.04.1966 निर्धारित है। तब तक धारा 30–डी के अनुसार दिनांक 25.02.1958 के बाद के सारे अन्तरण प्रवृतिहीन थे तथा दिनांक 09.12.1959 तक के अन्तरण भूमिहीन व्यक्तियों के पक्ष में यदि किए गए हो, तो वैध थे तथा वे अन्तरण भी वैध थे, जो विभाजन के बतौर किए गए थे। इस स्थिति में दिनांक 09.12.1958 के पश्चात विभाजन के अतिरिक्त समस्त अन्तरण, जो दिनांक 01.04.1966 तक किए गए थे, वे अमान्य थे। इस प्रकार दिनांक 01.04.1966 को ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित उस क्षैत्र की गणना करनी थी, जो उक्त भूमि का दिनांक 25.02.1958 को खातेदार था तथा दिनांक 09.12.1958 तक के भूमिहीन व्यक्ति के पक्ष मे किए गए अन्तरण एवं विभाजन के बतौर दिनाक 01.04.1966 को किए गए अन्तरण उस भूमि में से बाकी निकालकर दिनांक 01.04.1966 तक उस व्यक्ति द्वारा धारित भूमि के क्षैत्रफल की गणना करते हुए दिनांक 01.04.1966 को उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के अनुसार भूमि का अधिकतम धारित क्षैत्रफल की संगणना की जानी है। उक्त प्रावधानों के पश्चात अधिनियम में धारा 30 डी डी0 वर्ष 1970 में जोडी गई, जिसमें दिनांक 31.12.1969 तथा 31.05.1970 तक के अन्तरण भी मान्य कर दिए। इस संशोधन के परिणाम स्वरूप दिनांक 01.04.1966 को व्यक्ति द्वारा धारित भूमि की गणना काल्पनिक हो गई, जिसके कारण दिनांक 01.04.1966 स्वतः ही उत्सादित हो गई एवं अधिनियम में वर्ष 1970 में हुए संशोधन के प्रभावशील होने के कारण अधिसूचित दिनांक 01.04.1966 के स्थान पर दिनांक नियत की जानी थी, जो नियत नहीं की गई। दिनांक 01.01.1973 से राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 को प्रभावशील हो चुका है, जिसकी धारा 40 के अनुसार उक्त अध्याय 3 बी उत्सादित हो गया, जिस कारण अब उस अध्याय के अधीन को विज्ञप्ति प्रसारित करना संभव ही नहीं रहा। इस स्थिति में पुराने कानून के तहत दिनांक 01.04.1966 के प्रसंग से वैध रूपेण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कोई कार्यवाही क्रमिक नहीं रह सकती है एवं मात्र क्षेत्रफल की गणना उक्त अधिनियम 1973 की धारा 4 (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार ही करना सक्षम है, जिसमें मात्र 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि एक यूनिट में गणना योग्य है, जिसके अनुसार ही ऐसेसी द्वारा धारित भूमि के क्षैत्रफल की फलावट करनी होती है एवं धारा 4 (1) में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भी एक यूनिट के क्षैत्रफल की गणना करनी होती है, जिन दोनों गणनाओं के परिणामों में से कम क्षेत्रफल, जो आता है, वह एक यूनिट के अनुमत्य क्षेत्र माना जाएगा।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 3–ख में अधिकतम सीमा–क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने पर जो निर्बन्धन है, उनमें धारा 30–ख–परिभाषाएँ विहित है, जिसकी उप–धारा (क) में परिवार को परिभाषित किया गया है, उसके अनुसार 'कुटुम्ब' से पति और पत्नी तथा उन पर आश्रित उनकी सन्तानों, पौत्र–पौत्रियों तथा पत्नी की इस प्रकार आश्रित विधवा माता से गठित कुटुम्ब है। धारा 30–ग में अधिकतक सीमा–क्षेत्र का परिमाण में यह प्रावधित किया गया है कि "पाँच या पाँच से कम सदस्यों के कुटुम्ब के लिए भूमि का अधिकतम सीमा क्षेत्र तीस मानक एकड निर्धारित है। जहां तक पृथक यूनिट का प्रश्न है, उसे नए सीलिंग अधिनियम की धारा 2 (एम) में निम्न प्रकार से परिभाषिक किया गया है "2(m) - separate unit means adult son and in case of his death, his widow and children if any" इसके अनुसार पृथक यूनिट का मतलब एसेसी के बालिग लड़के से है और उसकी मृत्यु होने की सूरत में बालिग लड़के की विधवा व उसके बच्चों की सेपरेट यूनिट माना गया है। धारा 2 (एम) सेपरेट यूनिट में जो "adult son" आया है, उसका मतलब "adult son's branch" से है, अर्थात जो भूमि adult son की branch की होल्डिंग में है, जिसमें कि adult son के लड़के, चाहे वह बालिग हो या नाबालिग, शामिल है, तो वह जमीन भी धारा 4 (2) के उद्देश्य के लिए सेपरेट यूनिट की होल्डिंग में शामिल होगी, क्योंकि धारा 4 (2) सपठित धारा 2 (एम) की यही मंशा है कि ऐसेसी के बालिग लड़के व उसकी ब्रांच को एक सेपरेट यूनिट का फायदा दे दिया जावे, यदि ऐसी मंशा नहीं होती तो separate unit की सूरत में उसके विधवा व उसके बच्चों को (चाहे वह बालिग हो या नाबालिग) separate unit नहीं माना जा सकता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा मृतक नसीर अहमद की पत्नी जैनब को वर्ष 1955 से ही नसीर अहमद से पृथक रहना एवं अपना जीवन यापन करना बताया है, जिसका अपीलाण्ट द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है तथा न ही अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के परिवार के सदस्यों एवं विधिक गणना से उक्त सदस्यों द्वारा धारित की जाने वाली भूमि का खण्डन किया है। जैनब की भूमि को नसीर अहमद के खाते में जोड़ी जा सकती है अथवा नहीं ? यह एक विधिक बिन्दु है, जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा WLN UC 1983 Page 125 में इस प्रकार विवेचित किया है " Pare 12. Now the question arises as to whether the separate holdings of Smt. Chandra Kanwar can be clubbed with the land held by her husband Shri Thakur Padam Singh. According to the Board of Revenue, from the definition of the 'family' contained in clause (a) section 30-B of Chapter III-B of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, it must be gathered that even if the wife holds lands independently, it will be deemed to held by the family and that

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

the lands held by her shall be clubbed with the holdings held by her husband for the purposes of fixing the ceiling area.

13. In my opinion, it is necessary to examine the nature of the possession of the holdings by the wife, before coming to a conclusion whether the land held independently by the wife is permissible for clubbing together with that of her husband. In the instant case, the agricultural land recorded in the Khatedari of Smt. Chandra Kanwar independently in her own right and which is her 'Staridhan' being the part and parcel of the lands gifted away to her by her husband long before the Old Ceiling Law was even contemplated or enacted and which is sufficient to meet her expenses and to maintain her cannot be clubbed together with the land of her husband and treated as the holding of the family for the purposes of determining the ceiling area under the Old Ceiling Act. Reliance in this connection may be placed on a Division Bench authority of this Court in the case of ***Katna Prasad v. The State of Rajasthan, 1982 RLW at page 38***, wherein their lordships observed as follows:

"In our opinion, if an agricultural land is recorded in the Khatedari of a widow independently in her own right which is sufficient to maintain her, such land will not be clubbed with the land of her son and she can be treated as a separate unit for the purpose of Ceiling Law."

14 ……..It was further held in the said authority that under the Hindu Law as well as the Muslim and other laws, members of families having joint holdings are permitted to have and can own separate individual properties of their own ownership and these separate properties may include agricultural lands also.

15. In ***RRD. 1978, Smt. Samand Kanwar v. State of Rajasthan, page 192***, the Board of Revenue itself held that if members of a family legally held title to separate land holdings, such separate holding cannot be clubbed together and treated as the holdings of the family. It was a further held that the transfers of land effected in favour of the sub-grantees by Rao Manohar Singh in 1954 were legally valid and having been made long before the Old Ceiling Law was enacted do not vitiate the objectives and the provisions of that law, and further, that the sub-granted lands are legally required to be treated as the agricultural holdings of the sub-grantees and not of the family, therefore, there is no valid reason not to recognise these transfers for purposes of the Old Ceiling Law.

17. Hence, separate holdings of Smt. Chandra Kanwar, who has been in exclusive and continuous possession thereof for her maintenance from the date of the Registered Gift-deed i.e. long before the Old Ceiling Law was even contemplated or enacted, cannot be clubbed with the holdings held by her husband for the purposes of fixing ceiling area. Smt. Chandra Kanwar was awarded separate compensation by the Deputy Jagir Commissioner also for her lands. This fact was indicative of her absolute control over the Gifted property i.e. agricultural lands over which she acquired Khatedari rights after the resumption of her Jagir as indicated above.

19. For the foregoing reasons, I have no hesitation in holding that the transfer of lands by way of gift to Smt. Chandra Kanwar by her husband long before the Old Ceiling law was enacted is legally valid and do not violate the objectives and provisions of the Old Ceiling Law and the gifted away separate holding of Smt. Chandra Kanwar cannot be clubbed together with the holdings of her husband and cannot be treated as a single holding of the family, in connection with ascertainment of excess land held by the family as a unit." इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रकार जैनब द्वारा धारित भूमि, उसकी स्व–अर्जित होने के कारण नसीर अहमद के साथ गणना योग्य नहीं थी। चूंकि अधिसूचित दिनांक 25.09.1970 एवं 01.01.1973 को रेस्पोडेन्ट नसीर अहमद के तीनों पुत्र बालिग थे तथा अपने पिता से पृथक निवास करने के कारण वे पृथक रूप से भूमि धारण करने के अधिकारी थे, इसके अनुसार गणना करने पर तीनों ही पुत्र पृथक पृथक रूप से 227 बीघा 10 बिस्वा भूमि अर्थात कुल 910 बीघा भूमि धारण करने के अधिकारी थे। चूंकि एसेसी नसीर अहमद निर्धारित तिथी को 376 बीघा भूमि ही धारण करता था, जो 910 बीघा से कम होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध चल रही सीलिंग कार्यवाही को समाप्त किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा प्रकरण संख्या 02/2010 (पुराना कानून) राजस्थान सरकार बनाम नसीर अहमद के का0मु0 वगैरा में पारित आदेश दिनांक 28.10.2013 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 8·2·2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली